THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 365 OF 2025

IN THE MATTER OF:

BHAYANKAR SINGH & ANR. .....APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....RESPONDENTS

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Response/Reply on behalf of U.P. Pollution Control Board.	1-3
2	**ANNEXURE-A** **True copy of the inspection repo0rt dated 23.10.2025**	4-31

NEW DELHI

DATED: 25 .10.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 365 OF 2025

NOTARIAL

Notary Public Shiv Kumar Guatam Notary Advocate Reg. No. 9493 Moradabad Govt. of India

NOTARIAL

IN THE MATTER OF:
BHAYANKAR SINGH & ANR. .....**APPLICANTS**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....**RESPONDENTS**

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I, D.K. Gupta S/o Shri Vibhuti Prasad Gupta, aged about 58 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Moradabad, U.P., do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the abovenoted capacity am well conversant with the facts and record of the present case, hence am competent to swear this affidavit.

Notary Public Shiv Kumar Guatam Notary Advocate Reg. No. 9493 Moradabad Govt. of India

2. That I have read the abovenoted Original Application and enclosures annexured therewith and have understood the same fully.

3. That the abovenoted case came up for hearing on 24.07.2025 when this Hon'ble Tribunal has issued notice to the Respondents.

4. That in response to the said notice, present reply is being filed.

5. That M/s. Khwaja Brick Works, Village Shahpur, Chamran, Tehsil and District Sambhal has been closed by the Board vide order dated 11.05.2018 as it was established and operated without any consent to establish or operate. At present as per

the inspection done on 09.09.2025 and 21.10.2025 the said brick kiln is lying closed.

6. That Regional Office vide letter dated 08.10.2025 has asked Mines Inspector to inform as to whether any FIR was registered against Respondent No. 4, the Proprietor of Brick Kiln and also whether any compensation has been paid.

7. That the Mining Inspector vide letter dated 14.10.2025 has informed that Rs. 12,00,000/- have been paid by District Administration to the families of the deceased children @ Rs. 4,00,000/- each.

8. That the Regional Office vide letter dated 21.10.2025 has asked the Station Officer, P.S. Hazarat Nagar, Garhi District Sambhal that an FIR has been registered against the proprietor of the said Respondent No. 4 and whether any case is pending in the court. In response to the same the Station Officer vide letter dated 21.10.2025 has informed that after investigation chargesheet has been filed against the proprietor of Respondent No. 4, Shabbir, S/o. Yaseen in Case Crime No. 31 of 2021 on 10.09.2021 under Section 336/304A IPC which is pending before the Court of CJM, Chandausi.

8. That at the time of inspection it has been found that the brick kiln which has its name as New Khawaja Brick Works, is lying closed. It is further submitted that the said brick kiln is not complying with the siting criteria as per U.P. Brick Kiln (Siting Criteria) Rules, 2012. True copy of inspection report dated 23.10.2025 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-A.**

Notary Public
Shiv Kumar Gualam
Notary/Advocate
Reg. No 9493
Moradabad
Govt. of India

Notary Public
Shiv Kumar Gualam
Notary/Advocate
Reg. No 9493
Moradabad
Govt. of India

That the above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

Notary Public
Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Reg. No. 9493
Moradabad

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the deponent above named, do hereby verify that the contents of above reply are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 24th DAY OF OCTOBER, 2025 AT MORADABAD.

DEPONENT

Solemnly affirmed before me by Sri/Smt./Km.....D.K. Gupta.....
...ent who is identified by Sri/Smt./Km.......................
Clerk of Sri/Smt./Km....... Self .... Advocate on 24/10/2025
I have satisfied my staff after examining the deponent
That he/she under stood the contents of the affidavit and the
same has been read over & explained by me
Revd. Rs as fees

Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Regd. No.9493
Moradabad
24/10/2025

Annexure - 'A'

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 2044 / XI-13 / 365 / जारल   दिनांक : 23.10.2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन में ईट भट्ठा मैसर्स द न्यू ख्वाजा ब्रिक वर्क्स (पूर्व नाम मैसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स), ग्राम शाहपुर चामरान, तहसील व जनपद सम्भल से सम्बन्धित आख्या समस्त संलग्नकों सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

Deokumar Gupta
Digitally signed by Deokumar Gupta
Date: 2025.10.23 16:17:42 +05'30'
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य विधि अधिकारी–प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Deokumar Gupta
Digitally signed by Deokumar Gupta
Date: 2025.10.23 16:19:01 +05'30'
क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन के संबंध में निरीक्षण आख्या –

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"..............1. In this original application, the Applicants are claiming compensation on account of the death of three children by drowning in the pit illegally dug beyond the permissible limit by the Respondent No. 4, Brick Kiln unit. The allegation of the Applicants is that the Respondent No. 4, Brick Kiln had dug up a pit upto 27 feet deep while illegally operating the brick kiln at Village Shahpur Chamaran, Hazratnagar Garhi, District Sambhal, Uttar Pradesh. The incident had taken place on 05.08.2021 when three minor children while playing in the field had confused the illegal pit dug up by the Respondent No. 4 with a normal agriculture field filled with water and being unaware of the depth of the pit they inadvertently entered there and had drowned. The names of the three children who have died in that accident are as under:
a) Nirbhay aged about 12 years s/o Bhayankar Singh (son of Applicant no.1)
b) Shraddha aged about 10 years D/o Bhayankar Singh (Daughter of Applicant no.1)
c) Yug aged about 10 years S/o Sharmendra Singh (Son of Applicant no.2)..................."
"....................He has also relied upon the chargesheet as Annexure A6. He has submitted that though the representation was made to the District Magistrate, Sambhal vide Annexure A9, but no action on the said representation has been taken. He submits that the Applicants have been paid Rs. 4 lakhs against each death, whereas in terms of the order of the Tribunal dated 18.04.2024 passed in OA No. 604/2023 in the matter of Hussain Ahmad versus State of U P & Ors., in the similar circumstances, the Tribunal has granted the compensation of Rs. 20 lakhs to the family member of each 3 deceased child. He has pointed out that the aforesaid order is under challenge before the Hon'ble Supreme Court and the order has been stayed, subject to payment of 50% of the amount and the settlement between the parties in that case is in progress............"
"................8. Respondents are directed to file their reply by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing.
9. List on 28.10.2025."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्ठा मैसर्स द न्यू ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम शाहपुर चामरान, पोस्ट रहटौल, तहसील व जनपद सम्भल (अंक्षाश 28.718893, देशान्तर 78.643999) का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक 09.09.2025 एवं 21.10.2025 को किया गया। निरीक्षण दिनांक 21.10.2025 के दौरान प्रश्नगत स्थल पर ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में मौहम्मद शब्बीर, प्रोपराइटर (मो0 नं0 8954542434) उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्ठे का संचालन ईट भट्ठा सत्र 2021–22 के उपरान्त नहीं किया गया है, और भविष्य में भी राज्य बोर्ड से बिना संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जायेगा। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की ट्रेन्च पर घास एवं झाड़ियाँ उगी हुयी पायी गयी तथा ट्रेन्च क्षतिग्रस्त अवस्था में पायी गयी। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

AE

A.E.E.

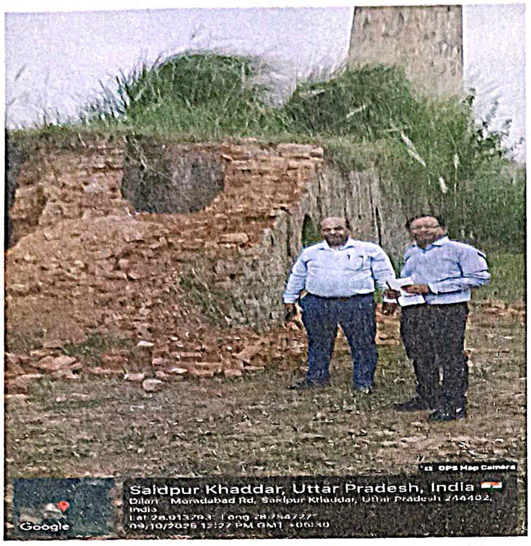

उक्त ईट भट्ठे के संबंध में आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त संदर्भित ईट भट्ठा पूर्व में मैसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स के नाम से ग्राम शाहपुर चामरान, तहसील व जनपद सम्भल में स्थापित/संचालित था। वर्तमान में उक्त ईट भट्ठे का नाम परिवर्तित नाम मैसर्स द न्यू ख्वाजा ब्रिक वर्क्स है।
2. उक्त ईट भट्ठे के पूरब दिशा में लगभग 35 मी0 की दूरी पर शाहपुर खमरिया रोड तत्पश्चात लगभग कृषि भूमि, पश्चिम दिशा में लगभग 35 मी0 की दूरी पर शाहपुर ततारपुर रोड तत्पश्चात लगभग 480 मी0 की अनुमानित दूरी पर ग्राम मिलक ततारपुर की आबादी, उत्तर दिशा में लगभग 930 मी0 की अनुमानित दूरी पर ग्राम खबरिया की आबादी तथा दक्षिण दिशा में लगभग 200 मी0 की अनुमानित दूरी पर आम का बाग (2.5 एकड़ क्षेत्रफल से अधिक) तत्पश्चात लगभग 520 मी0 की अनुमानित दूरी पर ग्राम शाहपुर चामरान की आबादी स्थित है। उक्त ईट भट्ठे का स्थापना स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.06.2012 ''उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापनार्थ हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012'' की उपविधियों के अनुरूप नहीं है।
3. निरीक्षण दिनांक 21.10.2025 के दौरान उक्त प्रश्नगत प्रकरण में घटना स्थल (अक्षांश 28.712696, देशान्तर 78.639761) पर कृषि कार्य होता पाया गया तथा गढ्ढा खुदान स्थल की स्थिति पूर्व की भांति यथावत पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत् हैं –

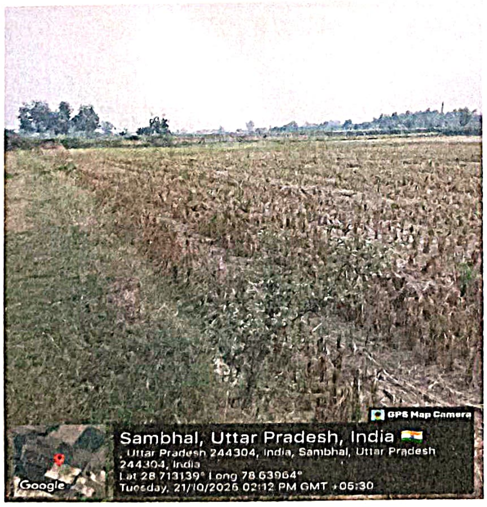

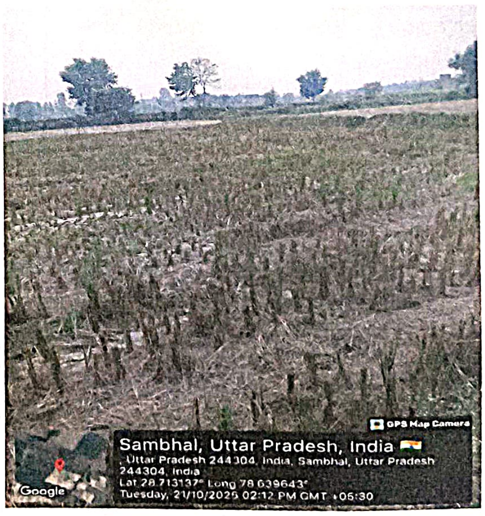

A.E.E.

4. उक्त ईट भट्ठा मैसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम शाहपुर चामरान, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31(ए) के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 19811/सी–7/वायु/1142/बंदी आदेश/मुरा0/2018 दिनांक 11.05.2018 **(छायाप्रति संलग्न– 01 पर संलग्न)** द्वारा बंदी आदेश निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।
5. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में मृतकों के सम्बन्धियों/आवेदकों को मुआवजे के रुप में भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख, प्रतिवादी सं0–04/ईट भट्ठा प्रोपराइटर के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है, तो उसकी प्रति तथा प्रतिवादी संख्या –4/ईट भट्ठा प्रोपराइटर के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद दाखिल/विचाराधीन हो, तो उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय के पत्र सं0 1936/एन–13/365/जनरल दिनांक 08.10.2025 **(छायाप्रति संलग्न– 02 पर संलग्न)** द्वारा खान निरीक्षक, सम्भल से अनुरोध किया गया।
6. इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 08.10.2025 के क्रम में खान निरीक्षक, सम्भल द्वारा अपने पत्र सं0 684/खनिज अनुभाग/2024–25 दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में उनके पत्रांक 683/खनिज अनुभाग/2024–25 दिनांक 10.10.2025 के माध्यम से आवश्यक सूचनाये प्राप्त किये जाने हेतु आपदा विशेषज्ञ, जनपद सम्भल तथा थानाध्यक्ष, थाना हजरत नगर गढी को पत्र प्रेषित किया गया। खान निरीक्षक, सम्भल के पत्र दिनांक 14.10.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"................ प्रभारी अधिकारी (आपदा), सम्भल के पत्र संख्या 165/जि.आ.प्र.प्रा./2025–26 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में मृतकों के सम्बन्धियों/आवेदकों को मुआवजे के रुप में भुगतान की गयी धनराशि तहसीलदार, सम्भल के पत्र संख्या 170/रा.नि.का./दै.आ./2021–22 दिनांक 11.08.2022 के द्वारा खेत में बने गड्ढे में वर्षा के पानी में डूब जाने के कारण मृत–निर्भय नाबा. आयु 11 वर्ष पुत्र भंयकर सिंह व कु. श्रद्वा नाबा. आयु 09 वर्ष पुत्री भंयकर सिंह व युग नाबा. 08 वर्ष पुत्र श्री शरमेन्द्र सिंह, निवासी शाहपुर चामरान तहसील सम्भल, परिवार के मुखियाओं को कुल रु0 12,00,000/– (बारह लाख रुपये मात्र) सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी जिसका विवरण निम्नवत् है–

क. सं.	प्रभावित व्यक्ति का नाम व पिता पति का नाम व पता	स्वीकृत धनराशि	बैंक खाता संख्या	आई.एफ.एस. सी. कोड	बैंक का नाम	वितरण दिनांक
1	श्री भंयकर सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह, निवासी ग्राम मिलक शाहपुर चामरान	8,00,000/–	88520102699296	PUNBOSUPGB5	प्रथमा बैंक शाखा शाहपुर चामरान	11.08.2021
2	श्री शिरमेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह, निवासी ग्राम मिलक शाहपुर चामरान	4,00,000/–	33345905458	SBIN0003819	एस.बी. आई. शाखा सिरसी	11.08.2021

A.E.E.

उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित के खाता संख्याओं में हस्तान्तरित कर दी गयी है।

अग्रेतर कार्यालय के पत्रांक 2043/एन–13/365/जनरल दिनांक 21.10.2025 **(छायाप्रति संलग्नक–03 पर संलग्न)** के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–4/ईट भट्ठा प्रोपराइटर के विरूद्ध यदि कोई चार्जशीट अथवा किसी न्यायालय में कोई वाद दायर किया गया हो, तो सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने हेतु थानाध्यक्ष, थाना हजरतनगर गढ़ी, जनपद सम्भल को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के कम में थानाध्यक्ष, थाना हजरतनगर गढ़ी, जनपद सम्भल द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.10.2025 **(छायाप्रति समस्त संलग्नकों एफ0आई0आर0 एवं आरोप पत्र की छायाप्रति सहित संलग्नक–04 पर संलग्न)** के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

"वादी श्री भयंकर सिंह पुत्र स्व0 राजपाल सिंह, निवासी ग्राम शाहपुर चामरान, थाना हजरतनगर गढ़ी, जनपद सम्भल द्वारा प्रतिवादी संख्या–4/ईट भट्ठा प्रोपराइटर के विरूद्ध पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 31/2021 धारा 304ए भादवि में आरोप पत्र सं0 30/2021 दिनांक 10.09.2021 को अन्तर्गत धारा 336/304ए भादवि माननीय न्यायालय सी0जे0एम0, चन्दौसी के समक्ष प्रेषित की गयी है।

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन में मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने वाला प्रतिउत्तर/आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Anil 23.10.25
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

23/10/25
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

Deokumar Gupta
Digitally signed by Deokumar Gupta
Date: 2025.10.23 15:39:24 +05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

संलग्नक - 01

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0- 1419811 /सी-7/वायु/1142/बंदी आदेश/मुरा0/2018 दिनांक 7-5-18

सेवा में,
मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स,
ग्राम-शाहपुर चमारन, तहसील व
जनपद-सम्भल।

यह कि मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम-शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद-सम्भल द्वारा ईंट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम-शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद-सम्भल को क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के पत्रांक 501/ई-7/सम्भल/जनरल दिनांक 26.03.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रविधानों के अनुपालन हेतु नोटिस प्रेषित किया गया तथा स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 28.03.2018 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई। ईट भटटे द्वारा मिट्टी के खनन हेतु ई0आई0ए0 अधिसूचना के प्राविधानों के अनुसार जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) से खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बोर्ड को प्रेषित नही की गयी है। ईट भटटे द्वारा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त नही की गयी है एवं न ही सहमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

यतः मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम-शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद-सम्भल द्वारा संचालन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से संचालन हेतु पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन कर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि एक दण्डनीय कृत्य है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम व पर्यावरण हित मे जन स्वास्थ्य एवं जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-(ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम-शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद-सम्भल के विरूद्ध निम्नरूपेण बंदी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते है:-

1. यह कि मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम-शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद-सम्भल के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम-शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद-सम्भल को मिलने वाली बिजली, पानी तथा मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।
3. यह कि मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम-शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद-सम्भल द्वारा संचालन से पूर्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-7

2/-

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स-0522-2720764
ई-मेल- info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com

107

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

<u>प्रतिलिपि</u>— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम—शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद—सम्भल में संचालन/उत्पादन कार्य तत्काल प्रभाव से वन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहें।
2. अधिशासी अभियंता, सम्भल उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम—शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद—सम्भल का विद्युत विच्छेदन करायें।
3. जिला खनन अधिकारी, सम्भल ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि जारी वन्दी आदेश के अनुपालन हेतु मेसर्स ख्वाजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम—शाहपुर चमारन, तहसील व जनपद—सम्भल को बन्दी आदेश प्राप्त कराकर स्वंय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें एवं सतत बन्दी सुनिश्चित रहने के सम्बन्ध में अनवरत निरीक्षण सुनिश्चित कर आख्या ससमय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त—7

संलग्नक – 02

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या 1936/अ.नि.-13/ 365/जनरल दिनांक 08.10.2025

सेवा में,

खान निरीक्षक,
जनपद सम्भल।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"...............1. In this original application, the Applicants are claiming compensation on account of the death of three children by drowning in the pit illegally dug beyond the permissible limit by the Respondent No. 4, Brick Kiln unit. The allegation of the Applicants is that the Respondent No. 4, Brick Kiln had dug up a pit upto 27 feet deep while illegally operating the brick kiln at Village Shahpur Chamaran, Hazratnagar Garhi, District Sambhal, Uttar Pradesh. The incident had taken place on 05.08.2021 when three minor children while playing in the field had confused the illegal pit dug up by the Respondent No. 4 with a normal agriculture field filled with water and being unaware of the depth of the pit they inadvertently entered there and had drowned. The names of the three children who have died in that accident are as under:

a) Nirbhay aged about 12 years s/o Bhayankar Singh (son of Applicant no.1)

b) Shraddha aged about 10 years D/o Bhayankar Singh (Daughter of Applicant no.1)

c) Yug aged about 10 years S/o Sharmendra Singh (Son of Applicant no.2)........................"

"................8. Respondents are directed to file their reply by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing.

9. List on 28.10.2025."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा है कि प्रश्नगत प्रकरण में मृतकों के सम्बन्धियों/आवेदकों को मुआवजे के रुप में भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख, प्रतिवादी सं0–4/ईट भट्ठा प्रोपराइटर के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है, तो उसकी प्रति तथा प्रतिवादी संख्या –4/ईट भट्ठा प्रोपराइटर के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद दाखिल/विचाराधीन हो, तो उससे सम्बन्धित अभिलेख 03 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण में प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। कृपया नोट करें कि उक्त प्रकरण मा0 अधिकरण से सम्बन्धित होने के कारण प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन आवश्यक है।

भवदीय

08/10/25

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः यथोपरि।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, सम्भल।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सम्भल।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी– प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

08/10/25

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी सम्भल।
(खनन अनुभाग)

संख्या- 684 /खनिज अनुभाग/2024-25 दिनांक- 14/10/2025

विषय.- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए.सं. 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन के संबंध में।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई०एन०एस-1 आवास विकास कालोनी,
बौद्व बिहार दिल्ली रोड मुरादाबाद।
महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 1936/एन-13/365/जनरल दिनांक 08.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. सं. 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"In this original application, the Applicants are claiming compensation on account of the death of three children by drowning in the pit illegally dug beyond the permissible limit by the Respondent No. 4, Brick Kiln unit The allegation of the Applicants is that the Respondent No. 4, Brick Kiln had dug up a pit upto 27 feet deep while illegally operating the brick kiln at Village Shahpur Chamaran, Hazratnagar Garhi District Sambhal Uttar Pradesh. The incident had taken place on 05.08.2021 when three minor children while playing in the field had confused the illegal pit dug up by the Respondent No. 4 with a normal agriculture field filled with water and being unaware of the depth of the pit they inadvertently entered there and had drowned. The names of the three children who have died in that accident are as under.

(a)- Nirbhay aged about 12 years s/o Bhayankar Singh (son of Applicant no.1)
(b)- Shraddha aged about 10 years D/o Bhayankar Singh (Daughter of Applicant no. 1)
(c)- Yug aged about 10 years S/o Sharmendra Singh (Son of Applicant no 2)..................

"..........8. Respondents are directed to file their reply by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing.

9. List on 28.10.2025."

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के परिप्रेक्षय में आपसे अपेक्षा है कि प्रश्नगत् प्रकरण में मृतकों के सम्बन्धियों/आवेदकों को मुआवजे के रुप में भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख प्रतिवादी सं.-4/ईंट भटठा प्रोपराइटर के विरुद्व सम्बन्धित थाने में यदि कोई एफ.आई.आर दर्ज की गई है, तो उसकी प्रति तथा प्रतिवादी संख्या-4/ईंट भट्ठा प्रोपराइटर के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद दाखिल/विचाराधीन हो, तो उससे सम्बन्धित अभिलेख 03 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत् प्रकरण में कार्यालय के पत्र संख्या 683/खनिज अनुभाग/2024-25 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण में मृतकों के सम्बन्धियों/आवेदकों को मुआवजे के रुप में भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित

अभिलेख प्रतिवादी सं.–4/ईंट भट्ठा प्रोपराइटर के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में यदि कोई एफ.आई.आर दर्ज की गई है, तो उसकी प्रति तथा प्रतिवादी संख्या–4/ईंट भट्ठा प्रोपराइटर के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद दाखिल/विचाराधीन हो, के सम्बन्ध में आपदा विशेषज्ञ जनपद सम्भल तथा थानाध्यक्ष थाना हजरतनगर गढ़ी को पत्र प्रेषित किया गया।

उक्त पत्र के क्रम में प्रभारी अधिकारी (आपदा) सम्भल के पत्र संख्या 165/जि.आ.प्र.प्रा./2025–26 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के परिप्रेक्षय में प्रश्नगत प्रकरण में मृतकों के सम्बन्धियों/आवेदकों को मुआवजे के रूप में भुगतान की गयी धनराशि तहसीलदार सम्भल के पत्र संख्या–170/रा.नि.का./दै.आ./2021–22 दिनाँक 11.08.2022 के द्वारा खेत में बने गड्ढे में वर्षा के पानी में डूब जाने के कारण मृत–निर्मय नाबा आयु 11 वर्ष पुत्र भंयकर सिंह व कु. श्रद्धा नाबा. आयु 09 वर्ष पुत्री भंयकरसिंह व युग नाबा. 08 वर्ष पुत्र श्री शरमेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शाहपुर चमारान तहसील सम्भल, परिवार के मुखियाओं को कुल रू. 12,00,000/– (बारह लाख रूपये मात्र) सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी, **(संलग्नक)** जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र. सं.	प्रभावित व्यक्ति का नाम व पिता पति का नाम का नाम व पता	स्वीकृत धनराशि	बैंक खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड संख	बैंक का नाम	वितरण दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री भंयकर सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम मिलक शाहपुर चामरान	8,00,000/–	88520102699296	PUNB0SUPGB5	प्रथमा बैंक शाखा शाहपुर चामरान	11.08.2021
2	श्री शिरमेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम मिलक शाहपुर चामरान	4,00,000/–	33345905458	SBIN0003819	एस.बी.आई शाखा सिरसी	11.08.2021

उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित के खाता संख्याओं में हस्तान्तरित कर दी गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में थानाध्यक्ष थाना हजरतनगर गढ़ी की आख्या दिनांक 13.10.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे योजित ओ.ए.एस. 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ उ.प्र. व अन्य पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत होना नही पाया गया। (संलग्नक)

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए.सं. 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या से अवगत होने का कष्ट करें,

संलग्नक:– यथोपरि।

14/10/25

(शिवम कुमार)
खान निरीक्षक,
सम्भल।

कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल।

दिनांक– 13 अक्टूबर, 2025

पत्रांक–165 /जि.आ.प्र.प्रा./2025–26

विषयः– मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए.सं. 365/2025 भंयकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

खान निरीक्षक,
सम्भल।

अपने पत्र संख्या–683(1)/खनिज अनुभाग/2024–25 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए.सं. 365/2025 भंयकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में मृतकों के सम्बन्धियों/आवेदकों को मुआवजे के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के परिप्रेक्षय में प्रश्नगत प्रकरण में मृतकों के सम्बन्धियों/आवेदकों को मुआवजे के रूप में भुगतान की गयी धनराशि तहसीलदार सम्भल के पत्र संख्या–170/रा.नि.क़ा./दै.आ./2021–22 दिनाँक–11.08.2022 के द्वारा खेत में बने गड्ढे में वर्षा के पानी में डूब जाने के कारण मृत–निर्भय नाबा. आयु 11 वर्ष पुत्र भंयकर सिंह व कु श्रद्धा नाबा. आयु 09 वर्ष पुत्री भंयकरसिंह व युग नाबा. 08 वर्ष पुत्र श्री शरमेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शाहपुर चमारान तहसील सम्भल, परिवार के मुखियाओं को कुल रू. 12,00,000/–(बारह लाख रूपये मात्र) सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क.सं.	प्रभावित व्यक्ति का नाम व पिता/पति का नाम व पता	स्वीकृत धनराशि	बैंक खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या	बैंक का नाम	वितरण दिनांक
1	श्री भंयकर सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह नि. ग्राम मिलक शाहपुर चमारान	8,00,000/–	88520102699296	PUNB0SUPGB5	प्रथमा बैंक शाखा शाहपुर चमारान	11.08.2021
2	श्री शरमेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह नि. ग्राम मिलक शाहपुर चमारान	4,00,000/–	33345905458	SBIN0003819	एस.बी.आई. शाखा सिरसी	11.08.2021
	योग	12,00,000/–				

संलग्नक–यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी (आपदा)
सम्भल।

112

रिपोर्ट थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी सम्भल महोदय

जनपद सम्भल

विषयः-पत्रांक संख्या 683/खनिज अनुभाग/2024-25 दिनांकित 10.10.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ.ए.एस. 365/2025 भयंकर सिंह वं अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत होना नहीं पाया गया।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

(अनुज कुमार तोमर)

प्रभारी निरीक्षक

थाना हजरतनगर गढी

जनपद सम्भल

संलग्नक – 03

113

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

दिनांक. 21.10.2025

पत्र संख्या–2043/एन–13/365/जनरल

सेवा में

थानाध्यक्ष,
थाना–हजरतनगर गढ़ी,
जनपद सम्भल।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"..............1. In this original application, the Applicants are claiming compensation on account of the death of three children by drowning in the pit illegally dug beyond the permissible limit by the Respondent No. 4, Brick Kiln unit. The allegation of the Applicants is that the Respondent No. 4, Brick Kiln had dug up a pit upto 27 feet deep while illegally operating the brick kiln at Village Shahpur Chamaran, Hazratnagar Garhi, District Sambhal, Uttar Pradesh. The incident had taken place on 05.08.2021 when three minor children while playing in the field had confused the illegal pit dug up by the Respondent No. 4 with a normal agriculture field filled with water and being unaware of the depth of the pit they inadvertently entered there and had drowned. The names of the three children who have died in that accident are as under:

a) Nirbhay aged about 12 years s/o Bhayankar Singh (son of Applicant no.1)
b) Shraddha aged about 10 years D/o Bhayankar Singh (Daughter of Applicant no.1)
c) Yug aged about 10 years S/o Sharmendra Singh (Son of Applicant no.2)......................."

"................8. Respondents are directed to file their reply by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing.
9. List on 28.10.2025."

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मे प्रतिवादी सं0–4/ईट भट्ठा प्रोपराइटर के विरुद्ध आपके थाने मे दिनांक 06.08.2021 को एफ.आई.आर दर्ज की गयी थी। उक्त परिपेक्ष्य मे आपसे अपेक्षा है कि उक्त प्रकरण मे यदि कोई चार्जशीट दाखिल की गई हो अथवा प्रतिवादी संख्या–4/ईट भट्ठा प्रोपराइटर के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद दाखिल/विचाराधीन हो, तो उससे सम्बन्धित अभिलेख अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण में प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। कृपया नोट करें कि उक्त प्रकरण मा0 अधिकरण से सम्बन्धित होने के कारण प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन आवश्यक है।

भवदीय

Deokumar Gupta
Digitally signed by Deokumar Gupta
Date: 2025.10.21 12:25:09 +05'30'

संलग्नक: यथोपरि।

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, सम्भल।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सम्भल।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी– प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

Deokumar Gupta
Digitally signed by Deokumar Gupta
Date: 2025.10.21 12:25:40 +05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी

AEE 2025-26

रिपोर्ट थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी दिल्ली रोड मुरादाबाद

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र संख्या 2043/ एन- 13/365/जनरल दिनांक 21.10.2025 का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करे जिसके माध्य से माननीय राष्टीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 संख्या 365/2025 भयंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे पारित देश दिनांक 24.07.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 4/ईंट भट्टा प्रोपराईटर सब्बीर पुत्र यासीर निवासी ग्राम शाहपुर चमारान थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल के विरुध पंजीकृत मु0अ0स031/2021 धारा 304ए भादवि की एफ आई आर व चार्जसीट की प्रति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि वादी श्री भयंकर सिंह पुत्र स्व0 राजपाल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर चमारान थाना हजरतनर गढी जनपद सम्भल के द्वारा पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0 मु0अ0स031/2021 धारा 304ए भादवि में आरोप पत्र संख्या 30/2021 दिनांक 10.09.2021 को अन्तर्गत धारा 336/304ए भादवि माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 चन्दौसी प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी है प्रमाणित छायाप्रतिया एफ0आई0आर व आरोप पत्र सलग्न कर प्रेषित है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

प्रभारी निरीक्षक

थाना हजरतनगर गढी

जनपद सम्भल

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद-सम्भल उ0प्र0

1. District/Unit (जिला/इकाई): सम्भल

P.S. (थाना): हजरतनगर गढ़ी Year (वर्ष): 2021

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0031

Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 06/08/2021 10:10

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	304-A

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): गुरूवार Date From (दिनांक से): 05/08/2021 Date To (दिनांक तक): 05/08/2021

Time Period (समय अवधि): पहर 6 Time From (समय से): 17:30 बजे Time To (समय तक): 17:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 06/08/2021 Time (समय): 10:10 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 024 Date & Time (दिनांक और समय): 06/08/2021 10:10 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 12 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): खेत शाकिर पुत्र खुदा बक्शजंगल ग्राम शाहपुर चमारान

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): भयंकर सिंह

(b) Father's Name (पिता का नाम) : स्व. राजपाल सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1986

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं०):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं०):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,

2	स्थायी पता	भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9758673051

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	शब्बीर		पिता का नाम : यासीन	1. ग्राम शाहपुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर - सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना हज़रतनगर गढ़ी जनपद सम्भल महोदय निवेदन है कि प्रार्थी भयंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम मिलक शाहपुर चमारन थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद सम्भल का रहने वाला है प्रार्थी का पुत्र निर्भय उम्र करीब 12 वर्ष एवं पुत्री कु0 श्रद्धा उम्र करीब 10 वर्ष एवं भतीजा युग उम्र करीब 8 वर्ष पुत्र सरमेन्द्र सिंह दिनांक 5.8. 021 को खेलते खेलते अपने धान लग रहे खेत के पास पहुंचे जहां पर शाकिर पुत्र खुदा बख्श निवासी ग्राम शाहपुर चमारन के खेत से शब्बीर पुत्र यासीन

निवासी शाहपुर चमारन द्वारा अपने भट्टे की ईटों के निर्माण के लिए उक्त खेत से उपेक्षा एवं लापरवाही से बिना अनुमति के अवैध रूप से 23 फीट गहरा गड्ढा खोदकर मिट्टी उठा ली थी जिससे उक्त गड्ढे में वर्षा का काफी पानी भर गया था जिसमें खेलते खेलते उक्त तीनों बच्चों के शाम समय करीब 05:30 बजे पैर फिसल जाने के कारण डूबने से मृत्यु हो गई है। अभी तक मैं अपने मृतक बच्चों के क्रियाक्रम में लगा था उक्त बच्चों की मृत्यु शब्बीर के लापरवाही पूर्वक कार्य की वजह से हुई है। श्रीमान जी से अनुरोध है की मुलजिमान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। Sd. अंग्रेजी भयंकर सिंह 6.8. 21 प्रार्थी भयंकर सिंह पुत्र स्वः राजपाल सिंह ग्राम मिलक शाहपुर चमारन थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद संभल मो0 नं0 9758673051 , लेखक दिलीप सिंह पुत्र स्वः मोहनलाल ग्राम मिलक शाहपुर चमारन जनपद सम्भल (नोटः- मैं सीसी 145 काज़ी तौसीफ हसन प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द ब शब्द अंकित की गयी है।)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): sanjay kumar **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 960520293 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS Hazratnagar Garhi
Rank I (Inspector)
No. 9454404058

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : सीजेएम चंदौसी महोदय (के न्यायालय में)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** सम्भल
   P.S. (थाना): हजरतनगर गढ़ी — **Year(वर्ष):** 2021
   FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0031 — **Date(दिनाँक):** 06/08/2021
2. **Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.):** 01
3. **Date(दिनाँक):** 10/09/2021
4. **S.No. Acts(अधिनियम) Sections(धाराएँ)**

S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	भा दं सं 1860	336

5. **Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):** आरोप पत्र
6. **If FR Unoccurred (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):**
7. **If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया):** मूल

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): sanjay kumar

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.):960520293

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
भयंकर सिंह

(b) (ख) Father 's Name (पिता का नाम) : स्व. राजपाल सिंह

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where revered or seized	Disposal
(क्रं. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i) Name शब्बीर

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): यासीन

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1976

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

122

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम शाहपुर चमारान, हजरतनगर गढ़ी, सम्भल, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम शाहपुर चमारान, हजरतनगर गढ़ी, सम्भल, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	भा दं सं 1860	336

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायिक हिरासत में

(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12.Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect) (आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No. (क्रं. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मो० नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	भयंकर सिंह / 9758673051	पिता: स्व. राजपाल सिंह	1986		वर्तमान पता: ग्राम मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी, सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	शिकायतकर्ता

2	सीसी 145 काजी तौसी हसन /	:			वर्तमान पता: हजरतनगर गढी, हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: हजरतनगर गढी, हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
3	श्री सत्यवीर सिंह आजाद /	पिता: निहाल सिंह			वर्तमान पता: मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी, सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी, सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
4	श्री कमल सिंह /	पिता: श्री सोमपाल सिंह			वर्तमान पता: ताजपुर ,नखासा, सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ताजपुर ,नखासा, सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
5	श्री कपिल सिह /	पिता: भूरा सिंह			वर्तमान पता: शाहपुर चमारान , हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: शाहपुर चमारान , हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
6	श्री दिलीप सिंह /	पिता: स्व मोहनलाल			वर्तमान पता: मिलक शाहपुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मिलक शाहपुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
7	श्री सुबोध /	पिता: राजकुमार			वर्तमान पता: मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी, सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी, सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
8	श्री कौशलेन्द्र भारती /	पिता: शौराज सिंह			वर्तमान पता: मिलक शहापुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मिलक शहापुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह

हजरतनगर गढ़ी ★ जनपद सम्भल

थाना हजरतनगर गढ़ी ★ जनपद सम्भल ★

9	श्री अजय प्रताप सिंह /	पिता: अभय सिंह			वर्तमान पता: मिलक शहापुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मिलक शहापुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
10	उ0नि0 श्री बृजपाल सिंह /	:	1985		वर्तमान पता: हजरत नगर गढी , हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: हजरत नगर गढी , हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
11	श्री गजेन्द्र सिंह /	पिता: दौलतराम			वर्तमान पता: म मिलक शाहपुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: म मिलक शाहपुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
12	श्रीमती नीरज भारती /	पति:			वर्तमान पता: ग्राम मिलक शाहपुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम मिलक शाहपुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
13	श्रीमती मीरा भारती /	पिता: श्री सर्मेन्द्रसिह			वर्तमान पता: मिलक शाहपुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मिलक शाहपुर चमारान,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
14	श्री सर्मेन्द सिहं /	पिता: स्व0 राजपालसिह			वर्तमान पता: ग्राम मिलक शाहपुर ,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम मिलक शाहपुर ,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
15	श्री शाकिर /	पिता: खुदा वक्श			वर्तमान पता: ग्राम मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम मिलक शाहपुर चमारान ,हजरतनगर गढ़ी, सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

16	उ0नि0 संजय कुमार पीएनओ 960520293 /	:			वर्तमान पता: हजरतनगर गढी, हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: हजरतनगर गढी, हजरतनगर गढ़ी,सम्भल,उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्षी

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा **182/211 / 217/248** बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी निवेदन है कि दिनांक 6.8.2021 को वादी श्री भंयकर सिंह पुत्र स्व0 राजपाल सिंह नि0 ग्राम मिलक शाहपुर चमारान थाना हजरतनगर गढी जिला सम्भल की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत होकर विवेचना द्वारा मुझ उ0नि0 अमल मे लाई गई अव तक की तमामी विवेचना मे वयानात गवाहान निरीक्षण घटना स्थल अभिलेखीय साक्ष्य व पंचायत नामा मृतक निर्भय व युग व कु0 श्रध्दा व परिस्थिति जन्य साक्ष्य से अभियुक्त शब्बीर पुत्र यासीन नि0 ग्राम शाहपुर चमारान थाना हजरत नगर गढी जिला सम्भल के विरुध्द जुर्म धारा 336/304 A भा.द.वि का वखूवी सावित है अत अभियुक्त शव्वीर उपरोक्त का चालान द्वारा आरोप पत्र संख्या 30/2021 मा0 न्यायालय किया जाता है सवूत तलव फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करे। विवेचना पूर्ण होने के कारण वन्द की जाती है किता आरोप पत्र मय सम्वन्धित अभिलेख शीघ्र मा0 न्यायालय मे दाखिल करने की कृपा करे।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Date(दिनाँक):

17.Refer Notice served (जारी किए नोटिस): नहीं
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 10/09/2021

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):
IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सज़ा) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): PS Hazratnagar Garhi

Rank (पद): I (Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 9454404058

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): sanjay kumar

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 960520293